प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका (सिविल) क्रमांक : 3850/ 2010</u>

याचिकाकर्तागण राहुल साहू व अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण पं. रविशंकर विश्वविघालय व

अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश उद्घोषित करने हेतु दिनांक 27 फरवरी 2012 को सूचीबद्ध करें।

सही/-

सतीश के. अग्नीहोत्री

न्यायाधीश

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

रिट याचिका (सिविल) क्रं. 3850/2010

याचिकाकर्तागण राहुल साहू व अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण पं. रविशंकर विश्वविघालय व अन्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका

एकल पीठ - माननीय श्री सतीश के. अग्नीहोत्री न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति :

श्री वी.जी. तामस्कर, अधिवक्ता वास्ते याचिकाकर्तागण।

श्री नीरज चौबे, अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादी क्रमांक 1।

श्री पी.आर. पाटनकर, अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादी क्रमांक 2।

श्रीमती फौजिया मिर्जा, अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादी क्रमांक 3।

(दिनांक 27 फरवरी 2012 को उद्घोषित)

1. इस याचिका के द्वारा, याचिकाकर्तागण, उत्तरवादीगण के लिये यह निर्देश चाहते हैं कि परीक्षा जो सितंबर, 2010 में निर्धारित थी, में उन्हें तृतीय वर्ष तथा चतुर्थ वर्ष

दोनों परीक्षाओं में एक साथ उपस्थित होने की अनुमति दी जाए, तथा याचिकाकर्तागण को प्रर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए।

2. संक्षेप में, याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्तागण द्वितीय शैक्षणिक वर्ष के छात्र थे, जो मैट्री कॉलेज ऑफ डेन्टिस्ट्री एंड रिसर्च सेंटर, जी.ई. रोड, अंजोरा, दुर्ग में डेन्टल सर्जरी में चार वर्षीय स्नातक डिग्री के पाठ्यक्रम में अध्ययनरत थे। याचिकाकर्तागण के अनुसार, उन्हें तृतीय वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गई, जो परीक्षा दिनांक 26 मार्च, 2010 से 05 अप्रैल, 2010 तक आयोजित की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. उत्तरवादी-विश्वविद्यालय ने दिनांक 22.09.2009 के आदेश (अनुलग्नक पी/1) द्वारा 2005-2006 के तृतीय वर्ष एवं चतुर्थ वर्ष के बैच के अभ्यर्थियों को सितंबर, 2009 में आयोजित मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने के लिए विशेष अनुमति प्रदान की थी। उक्त आदेश में यह स्पष्ट किया गया था कि यह सुविधा 2007 के बैच और उसके पश्चात् के लिए लागू नहीं होगी। तदनुसार, याचिकाकर्तागण ने दिनांक 26.03.2010 को भारतीय दन्त परिषद को एक अभ्यावेदन (अनुलग्नक पी/2) दी, जिसमें यह उल्लेखित किया गया कि उन्होंने शैक्षणिक सत्र 2008-2009 में तृतीय वर्ष में 240 दिन की शैक्षणिक उपस्थिति पूर्ण की है, अतः उन्हें मार्च, 2010 में आयोजित परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जानी चाहिए। उत्तरवादी के

सम्बद्ध अन्य दन्त महाविद्यालयों के द्वारा समकक्ष स्थिति के छात्रों को दिनांक 26.03.2010 से दिनांक 05.04.2010 के मध्य आयोजित तृतीय वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की गई है। अतः याचिकाकर्तागण को तृतीय वर्ष तथा साथ ही सितम्बर, 2010 में आयोजित होने वाली चतुर्थ वर्ष की परीक्षाएँ एक साथ देने की अनुमति दी जानी चाहिए।

4. श्री तमास्कर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, ने तर्क किया है कि अधिकारियों द्वारा गलत निर्णय लेने के कारण याचिकाकर्तागण का एक वर्ष व्यर्थ चला गया है; अतः उन्हें तदुसार क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए तथा याचिकाकर्तागण के समकक्ष में रहने वाले छात्रों के समान व्यवहार करते हुए उन्हें सितम्बर, 2010 में आयोजित तृतीय वर्ष और चतुर्थ वर्ष दोनों परीक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति दी जानी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. इसके विपरीत, श्री चौबे एवं श्री पाटनकर, उत्तरवादीगण क्रमांक 1 व 2 के विद्वान अधिवक्तागण ने तर्क किया है कि याचिकाकर्तागण सितम्बर, 2010 में आयोजित चतुर्थ वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने के पात्र नहीं थे जब तक कि उन्होंने अपने तृतीय वर्ष की परीक्षा समस्त विषयों में उत्तीर्ण न कर ली हो तथा चतुर्थ वर्ष शैक्षणिक सत्र के लिये न्यूनतम 240 दिवस की शैक्षणिक अवधि पूर्ण न कर ली हो।

6. श्री चौबे एवं श्री पाटनकर ने आगे यह भी तर्क किया है कि याचिकाकर्तागण सितम्बर, 2007 में आयोजित प्रथम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। सात याचिकाकर्तागण में से केवल दो ही याचिकाकर्तागण ने उक्त परीक्षा उत्तीर्ण की और शेष पाँच याचिकाकर्ता असफल रहे थे। वे मार्च, 2008 में पूरक परीक्षा में सम्मिलित हुए और उत्तीर्ण हुए। तत्पश्चात् याचिकाकर्तागण सितम्बर, 2008 में द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित हुए, परंतु सातों याचिकाकर्तागण असफल रहे। छह याचिकाकर्ता तीन-तीन विषयों में असफल हुए और एक याचिकाकर्ता, संदीप पोरते दो विषयों में असफल रहा। उन्हें मार्च, 2009 में आयोजित पूरक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी गई थी, परन्तु वे उक्त परीक्षा में सफल नहीं हो सके। पश्चात्, सितम्बर, 2009 में, याचिकाकर्तागण, ने द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, सिवाय एक याचिकाकर्ता विराट पटेल के, जो सितम्बर, 2009 में आयोजित परीक्षा में एक विषय में असफल था। बीडीएस पाठ्यक्रम की योजना के अनुसार, उम्मीदवार को शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 240 दिवस की शिक्षण उपस्थिति देने की आवश्यकता होती है। चूँकि याचिकाकर्तागण ने आवश्यक 240 दिवस की शैक्षणिक अवधि पूर्ण नहीं की थी, अतः उन्हें मार्च, 2010 में आयोजित परीक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति प्राप्त नहीं हुई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क भी किया है कि चूँकि याचिकाकर्तागण द्वितीय वर्ष बीडीएस पाठ्यक्रम में एक से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हैं, अतः वे एटीकेटी (सत्र जारी रखने की छूट) की सुविधाओं के पात्र नहीं थे और उन्हें द्वितीय बीडीएस पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हुए बिना, तृतीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी गई। दिनांक 31.12.2008 के भारतीय दन्त परिषद् के परिशिष्ट में जारी परिपत्र में यह निर्देश निहित है कि नियम का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए तथा परीक्षा के सन्दर्भ में यह निर्देश दिया गया है कि जो भी अभ्यर्थी किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण होता है, उसे अगले उच्चतर कक्षा में जाने तथा उक्त विषय के लिये उपस्थित होकर उसे सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अनुमति दी जाएगी; तत्पश्चात् ही उसे अगले उच्चतर परीक्षा के लिये अनुमति दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. विद्वान अधिवक्ता ने अन्ततः तर्क किया है कि उत्तरवादी महाविद्यालय ने विश्वविद्यालय को सूचित किया था कि याचिकाकर्तागण मार्च, 2010 में आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने के योग्य नहीं थे, क्योंकि वे परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक 240 दिवस की उपस्थिति पूर्ण नहीं कर सके थे और वे केवल सितम्बर, 2010 में आयोजित परीक्षाओं में ही पात्र माने जाएंगे। याचिकाकर्तागण पहले से ही तृतीय वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुके हैं और उसका परिणाम

घोषित कर दिया जाएगा; तथापि याचिकाकर्तागण को चतुर्थ वर्ष की परीक्षा में तभी सम्मिलित करने की अनुमति दी जा सकती है जब वे चतुर्थ शैक्षणिक वर्ष में आवश्यक 240 दिवस की उपस्थिति पूर्ण कर लें।

9. उत्तरवादी क्रमांक 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती फौज़िया मिर्जा, ने यह तर्क किया कि परीक्षा की योजना के अनुसार यदि याचिकाकर्तागण किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण हो गए हैं, तो उन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नति दिया जा सकता है तथा वे उस विषय के लिए उपस्थित होकर उसे सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं; उसके पश्चात् ही उन्हें आगे की उच्चतर परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। किन्तु यदि याचिकाकर्ता एक से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण हैं, तो उन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. श्री तामस्कर ने प्रतिउत्तर में अभिव्यक्त किया है कि याचिकाकर्तागण ने दस्तावेजों में कूटरचना के आरोप लगाये हैं तथा यह भी तर्क किया कि चूँकि उक्त आरोपों का उत्तरवादीगण द्वारा अतिरिक्त शपथपत्र पेश कर अस्वीकार नहीं किया गया, अतः याचिका में किए गए अभिवचन सत्य मान लिये जाएँ। याचिकाकर्तागण ने अनेक शपथपत्र भी प्रस्तुत किए हैं जिनमें यह प्रदर्शित किया गया है कि याचिकाकर्तागण पूरे वर्ष नियमित रूप से तृतीय वर्ष की कक्षाओं में उपस्थित रहे

तथा उन्हें दिनांक 26.03.2010 को आयोजित परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गई थी।

11. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना, अभिवचनों तथा संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।

12. श्री तामस्कर, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि शपथपत्र कूटरचित है, जैसा कि प्रतिउत्तर में व्यक्त है, उसे अस्वीकार किये जाने की आवश्यकता है इस अस्वीकृति के बिना आरोप को स्वीकार किया जाना होगा, स्वीकार योग्य नहीं है। ये आरोप किसी सारभूत दस्तावेज़ी साक्ष्य अथवा प्रमाण पर आधारित नहीं हैं, केवल प्रतिउत्तर में प्रस्तुत शपथपत्र में किए गए कथन पर आधा2रित हैं। अतः यह निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन है कि दस्तावेज जैसा कि याचिकाकर्तागण द्वारा किये गये अभिवचन में व्यक्त है, कूटरचित हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. जहां तक तृतीय वर्ष के साथ-साथ चतुर्थ वर्ष की परीक्षा एक साथ सितम्बर, 2010 में आयोजित करने का प्रश्न है, तदनुसार ऐसी अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह पाया गया है कि याचिकाकर्तागण ने चतुर्थ वर्ष के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 240 दिनों की शैक्षणिक उपस्थिति पूरी नहीं की है और अतः बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की डिग्री के नियम (अनुलग्नक आर – 2/1) के अन्तर्गत आवश्यक अनिवार्यता कक्षाओं में उपस्थित हुए बिना, याचिकाकर्तागण को चतुर्थ

वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। उपर्युक्त नियमानुसार परीक्षा की योजना निम्नानुसार है-

"परीक्षा की योजना:

बी.डी.एस. पाठ्यक्रम की परीक्षा की योजना इस प्रकार विभक्त की जाएगी—प्रथम बी.डी.एस. परीक्षा शैक्षणिक वर्ष के अंत में, द्वितीय बी.डी.एस. परीक्षा द्वितीय वर्ष के अंत में, तृतीय बी.डी.एस. परीक्षा तृतीय वर्ष के अंत में, चतुर्थ बी.डी.एस. परीक्षा चतुर्थ वर्ष के अंत में तथा अंतिम बी.डी.एस. परीक्षा पाँचवें वर्ष के अंत में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम 240 दिन की शैक्षणिक उपस्थिति अनिवार्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति, प्रगति तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्य नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा खुली होगी।

(1) विश्वविद्यालयों को प्रवेश का समय तथा प्रवेश प्रक्रिया का आयोजन इस प्रकार करना चाहिए कि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में शिक्षण दिनांक 1 अगस्त से प्रारम्भ हो।"

14. उच्चतर परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति के प्रदान करने के सम्बन्ध में, भारतीय दन्त परिषद् द्वारा दिनांक 31.12.2008 को जारी परिपत्र (अनुलग्नक – आर-2/2) निम्नानुसार प्रावधान करता है :

> "कोई भी अभ्यर्थी जो किसी परीक्षा में एक विषय में अनुत्तीर्ण होता है, उसे अगली उच्चतर कक्षा में जाने तथा उस विषय के लिए उपस्थित होकर उसे सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अनुमति दी जाएगी, इससे पहले कि उसे अगली उच्चतर परीक्षा के लिए अनुमति दी जाए।"
>
> (रेखांकित भाग महत्वपूर्ण है)।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. उपरोक्तानुसार, यह निर्विवादित है कि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम 240 दिन की शैक्षणिक उपस्थिति अनिवार्य है, और याचिकाकर्तागण द्वारा यह पूरी नहीं की गई है। याचिकाकर्तागण ने सहपाठियों के कुछ शपथपत्र प्रस्तुत किए हैं तथा उनके अनुसार याचिकाकर्ता तृतीय वर्ष की कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहे हैं। चतुर्थ वर्ष की कक्षाओं के संबंध में उपस्थिति का कोई उल्लेख नहीं है।

16. जहाँ तक तृतीय वर्ष की परीक्षा का प्रश्न है, याचिकाकर्तागण पहले ही उपस्थित हो चुके हैं तथा परिणाम, यदि घोषित न भी किया गया हो, तो वह घोषित कर दिया जाएगा। तथापि, याचिकाकर्तागण को एक साथ चतुर्थ वर्ष की परीक्षा में उपस्थित

होने के लिये अधिकारीगण को निर्देश देने का अनुरोध स्वीकृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि याचिकाकर्तागण द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि उन्होंने चतुर्थ शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम 240 दिन की शैक्षणिक उपस्थिति पूरी की है। वर्ष के नुकसान के लिए याचिकाकर्तागण को क्षतिपूर्ति का अधिकार नहीं हो सकता क्योंकि वह उनकी अपनी असफलताओं के कारण हुई है।

17. उपर्युक्त कारणों से, इस याचिका में कोई बल नहीं है। अन्यथा भी, सितम्बर, 2010 में आयोजित परीक्षाओं में याचिकाकर्तागण को उपस्थित होने के अनुग्रह की याचना महत्वहीन हो चुकी है, क्योंकि परीक्षाएँ पहले ही संपन्न हो चुकी हैं।

18. परिणामस्वरूप, यह रिट याचिका विफल है और इसे खारिज किया जाता है, पक्षकारगण अपने अपने व्यय वहन करेंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सतीश के. अग्नीहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By – श्रीमती रेशमा कुजूर, अनुवादक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur